

कार्यालय:— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/परीक्षा प्रश्न-पत्र/मूल्यांकन/66191/2020-21/SPL-2

दिनांक 07.04.21

- | | | |
|--|--|--|
| 1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा । | 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक । | 3. समस्त संयोजक, जिला समान परीक्षा योजना । |
|--|--|--|

विषय:— सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा आयोजन/कक्षा प्रोन्नति के संबंध में।
प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018 दिनांक 8.12.2020 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक : 18.03.2021 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में कोविड-19 की गाइड लाईन के अनुरूप वर्तमान सत्र 2020-21 में राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में नियमित कक्षा संचालन न होने के कारण सत्र 2020-21 में कक्षाप्रोन्नति एवं आकलन/परीक्षा आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों की निरन्तरता में अंगीकृत प्रावधान किए जा रहे हैं:-

कक्षा 6 व 7

1. हमारा राजस्थान का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित एवं मुद्रित किया जा कर परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
2. कार्यानुभव, कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है।

कक्षा 9

1. कक्षा 9 में संचालित राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं शौर्य परंपरा का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर निर्मित मुद्रित कर परीक्षा का आयोजन किया जाना है
2. कक्षा 9 में संचालित राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं शौर्य परंपरा की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक व आन्तरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। उक्त विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु श्रेणी निर्धारण में अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का प्रश्न पत्र भी विद्यालय स्तर पर निर्मित एवं मुद्रित किया जा कर परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
4. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में क्रियात्मक गतिविधियों के समस्त अंकों को सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित कर प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा 80 अंक की तथा आन्तरिक मूल्यांकन के 20 अंक होंगे।
5. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा में पाँच दिवसीय शिविर हेतु निर्धारित 30 अंकों का अनुपातिक रूप से अनिवार्य प्रवृत्ति कार्य एवं वैकल्पिक प्रवृत्ति समूह में विभाजन कर मूल्यांकन किया जाना है।
6. कला शिक्षा में मूल्यांकन का कार्य पूर्व की भांति किया जाना है।
7. फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रश्न पत्र में सैद्धान्तिक परीक्षा 80 अंक व आन्तरिक मूल्यांकन के 20 अंक होंगे।

कक्षा 11

1. जीवन कौशल शिक्षा का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित/मुद्रित करवा कर पूर्व की भांति मूल्यांकन किया जाना है।
2. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1 प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित एवं मुद्रित किया जा कर परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1 की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक व आन्तरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। उक्त विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु श्रेणी निर्धारण में अंक नहीं जोड़े जायेंगे।


कक्षा 9 व 11 में कृपांकों का निर्धारण पूर्व निर्धारित नियमानुसार किया जाना है लेकिन कृपांक केवल वार्षिक परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर देय होंगे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.ए.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. समस्त प्रधानाचार्य, डाइट।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपनिदेशक, शाल दर्पण, जयपुर।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक, (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर